| | राजस्थान राजपत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| | चैत्र 2, मंगलवार, *शाके* 1943–मार्च 23, 2021<br>*Chaitra 2, Tuesday, Saka 1943- March 23, 2021* | |


भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

**कार्मिक विभाग**

**क-ग्रुप-।।**

अधिसूचना

**जयपुर, मार्च 12, 2021**

**जी.एस.आर.258 :-**भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम, 2007 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** -(1) इन नियमों का नाम राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. नियम 6 का संशोधन.-** राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा नियम, 2007, जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 6 के उप-नियम (1) के विद्यमान खण्ड (ख) के पश्चात निम्नलिखित परंतुक जोडा जायेगा, अर्थात्:-

'' परन्तु इन नियमों के अधीन कनिष्ठ वेतनमान पदों के 25 % पद राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 के अपर विकास अधिकारी के पद से पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे । प्राध्यापक, ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र का पद राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 के उपबन्धों के अनुसार अपर विकास अधिकारी के पद में से 100 पदोन्नति द्वारा भरा जा रहा है। अपर विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत व्यक्ति को, अपर विकास अधिकारी के रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात तीन माह के भीतर-भीतर या तो कनिष्ठ वेतनमान के पद पर पदोन्नति या प्राध्यापक, ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र के बीच का विकल्प प्रस्तुत करना होगा । यदि उपरोक्त विहित कालवधि के भीतर कोई विकल्प नहीं दिया गया है तो उस पर केवल प्राध्यापक, ग्रामीण सेवा प्रशिक्षण केन्द्र के पद पर पदोन्नति के लिए ही विचार किया जायेगा। एक बार कोई व्यक्ति विनिर्दिष्ट पद पर पदोन्नति के लिए विकल्प दे देता है तो उसे अपने विकल्प में परिवर्तन करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा । पदों पर पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर की जायेगी ।''

3. अनुसूची का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची में विद्यमान क्रम संख्यांक 4 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | कनिष्ठ | 75% | 25% | राजस्थान राज्य एवं | राजस्थान ग्रामीण | स्तंभ 6 में | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | वेतनमान | | | अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के नियम 12 में यथा अधिकथित अर्हता। | विकास एवं पंचायती राज राज्य और अधीनस्थ सेवा का अपर विकास अधिकारी | उल्लिखित पद पर 5 वर्ष की सेवा | |

‘’

**[सं.एफ. 1(3) डीओपी/ए-II/07]**
**राज्यपाल के आदेश और नाम से,**
जय सिंह,
**संयुक्त शासन सचिव**

**DEPARTMENT OF PERSONNEL**
**A-Gr.II**
NOTIFICATION
**Jaipur, March 12, 2021**

**G.S.R.258 .-**In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Rural Development State Service Rules, 2007, namely:-

**1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Rural Development State Service (Amendment) Rules, 2021.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Amendment of rule 6.-** After the existing clause (b) of sub-rule (1) of rule 6 of the Rajasthan Rural Development State Service Rules, 2007, hereinafter referred to as the said rules, the following proviso shall be added, namely.-

"Provided that 25% post of Junior scale posts under these rules shall be filled up by promotion from the post of Additional Vikas Adhikari of the Rajasthan Rural Development and Panchayati Raj State and Subordinate Service Rules, 1998. The post of Lecturer, Gram Sevak Training Centers is being filled up 100% by promotion amongst the post of Additional Vikas Adhikari in accordance with the provisions of the Rajasthan Rural Development and Panchayati Raj State and Subordinate Service Rules, 1998. The person working on the post of Additional Vikas Adhikari shall have to give an option, within three months after completion of five years service as Additional Vikas Adhikari either for promotion to the post of Junior Scale or Lecturer, Gram Sevak Training Centers. In case no option is given within the above prescribed period then he will be considered only for promotion to the post of Lecturer, Gram Sevak Training Centers. A person once opted for promotion to the specific post, he shall not be allowed to change his option. The promotion to the posts shall be made on basis of seniority."

**3. Amendment of Schedule.-** In Schedule appended to the said rules, the existing serial number 4 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Junior Scale | 75% | 25% | Qualification as laid down in rule 12 of the Rajasthan State and Subordinate Services (Direct Recruitment by Combined Competitive Examination) Rules, 1999. | Additional Vikas Adhikari of the Rajasthan Rural Development and Panchayati Raj State and Subordinate Services. | 5 years service on the post mentioned in column 6. | - |

"

**[No. F. 1(3)DOP/A-II/07]**

**By order and in the name of the Governor,**
JAI SINGH,
**JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.**

---

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।**